

# लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

“एलएनआईपीई, परिसर ग्वालियर में व्यायामशाला हॉल और इनडोर स्विमिंग पूल हॉल में स्लैब विस्तार जोड़ों की कवरींग करना कार्य।”

निविदा दस्तावेज-सह-प्रपत्र

## (ए) पात्रता मानदंड :

बोलीकर्ता एजेंसियों को पात्र घोषित होने के लिए तकनीकी बोली को संलग्नक 'ए' में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित / स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है -

1. कुलसचिव, एलएनआईपीई" के पक्ष में ग्वालियर में देय रुपये 14,000/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. या किसी शेड्यूल बैंक से बैंक गारंटी) या (वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए छूट।
2. बोलीकर्ता फर्म के निगमन का प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)।
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या (पिछले एक माह का जीएसटी रिटर्न की प्रति के साथ इसकी प्रति संलग्न करें)।
4. स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रतिलिपि संलग्न करें)।
5. 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार (मूल्यांकन वर्ष 2021-22), अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए। दिनांक 31.03.2022 तक पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करें।
6. सरकारी विभाग/ संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ शैक्षणिक संस्थानों/निजी संस्थानों में पिछले 7 वर्षों (फरवरी 2023 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्यों जैसे सिविल निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का निम्नलिखित में से कोई अनुभव :-

(अ) समान प्रकृति के संपन्न किए गए ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।

अथवा

(ब) समान प्रकृति के संपन्न किए गए ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।

अथवा

(स) समान प्रकृति का संपन्न किए गया ऐसा एक कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

[उक्त कार्य आदेशों 3/2/1 की प्रतियों के साथ संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां भी संलग्न करें।]

7. बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें)।

8. बोलीकर्ता की ओर से रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र कि :

1. बोलीकर्ता फर्म/ फर्म स्वामी/ फर्म भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है।

*Signature*  
15/3/23

- II. बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ई.पी.एफ., ई.एस.आई., जी.एस.टी., आयकर इत्यादि वैधानिक देयों के भुगतान में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
- III. बोलीकर्ता को किसी भी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान/ निजी संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
- IV. पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता के किसी भी ठेके को निर्धारित कार्य समाप्ति अवधि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।

**(बी) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया -**

1. सीलबंद निविदा के सभी पृष्ठों पर विधिवत रूप से पेज संख्या लिखी होनी चाहिए तथा पृष्ठ के नीचे बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए।
2. समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
3. सशर्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।
4. संस्थान, बोली खुलने से पहले किसी भी समय एवं किसी भी कारण से, संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से निविदा दस्तावेज में उपयुक्त संशोधन / शुद्धिपत्र जारी कर सकता है। इस बारे में संभावित बोलीकर्ताओं से अलग से किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
5. बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे और तदनुसार सभी कॉलमों को स्पष्ट रूप से भरेंगे। ऐसा न करने पर संस्थान बोली अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
6. अपूर्ण भरी हुई निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
7. बोलियों को निविदा आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित तिथि को बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा।
8. यदि तकनीकी/ मूल्य बोलियों को खोलने की निर्धारित तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होता है, तो उन्हें अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा।
9. बोली कर्ताओं से कार्यस्थल और प्रश्नगत कार्य के दायरे के पूर्व निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है, जिसे निविदा रूप में घोषित किया जाना आवश्यक है।
10. उन बोलीकर्ताओं के साथ किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिनकी बोलियाँ तकनीकी या मूल्य के आधार पर अस्वीकार की गयी हों।

**(सी) अनुबंध की सामान्य शर्तें -**

1. प्रश्नगत मरम्मत कार्य की माप को महज अनुमानित रूप में दर्शाया गया है। इसलिए, अनुसूची में उल्लिखित मात्रा और सामग्री भिन्न हो सकते हैं, जिसे ठेकेदार को प्रस्तावित दरों पर स्वीकार करना होगा। एजेंसी को कार्यस्थल पर किए गए कार्य की वास्तविक माप के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
2. ठेकेदार को कार्य के संतोषजनक रूप से संपन्न होने पर ही भुगतान किया जाएगा और ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप / प्रपत्र में प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटरीकृत बिल तैयार करना होगा।
3. सामग्री के इस्तेमाल के पूर्व ठेकेदार को संस्थान से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और कार्य में किसी भी परिवर्तन के लिए संस्थान से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

4. काम प्रदान किए जाने की सूचना के बाद, सफल बोलीकर्ता को 07 दिनों के भीतर रुपये 100 / - का एक गैर-न्यायिक स्टॉप प्रस्तुत करना होगा और वर्तमान निविदा की शर्तों एवं दशाओं के अनुसार कार्य करने के लिए संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
5. सफल बोलीकर्ता को ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट या सावधि जमा के माध्यम से कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर कुल ठेका मूल्य की 5 % राशि वांछित निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो न्यूनतम 15 महीने के लिए वैध हो।
6. निविदा को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी को विमुक्त/वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदायों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. कार्य पूर्ण उपरांत एक वर्ष दोष देयता अवधि समाप्त होने पर निष्पादन सुरक्षा राशि को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदाय (रिफंड) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. बोलीकर्ताओं को मूल्य बोली के तहत निविदा दस्तावेज में दी गयी विभिन्न शर्तों और दशाओं के अनुसार अपनी दरों को उद्धृत करना होगा, जिसमें समस्त करों सहित उपयुक्त सामग्री, श्रम, मशीनरी, मशीनों के उपकरण एवं संयंत्र और ऐसे सभी उपकरण को शामिल करना होगा जो कार्य के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। संस्थान द्वारा मूल्य बोली में उद्धृत राशि के अलावा कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. आवश्यकतानुसार सभी श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और कार्यस्थल पर कोई भी श्रमिक नाबालिग नियुक्त नहीं होना चाहिए। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रमिक और इसी तरह के अन्य कार्मिक, ठेकेदार के कर्मचारी होंगे, तथा वे समस्त कार्मिकों को उसी तरह से सभी प्रकार के देय और आनुषंगिक लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसे कि ठेकेदार अपने अन्य कर्मचारियों को प्रदान करते हैं। एल.एन.आई.पी.ई. इस मामले में किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं और ठेकेदार उद्धृत दरों पर कार्य निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा।
11. कार्यों की निविदा, निविदाओं के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु खुली रहेगी।
12. प्रदान किए गए कार्य को अनुबंध होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर पूरा करना होगा और ठेकेदार द्वारा संस्थान को कार्य प्रारंभ करने की सूचना देनी होगी।
13. कार्य में देरी होने पर रु. 500 / - प्रति दिन की दर से अर्थदंड आरोपित किया जाएगा, जिसे ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा और आरोपित अर्थदंड कुल लागत के 5% से अधिक नहीं होगा। यदि किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे कुलसचिव कार्यालय को सूचित किया जा सकता है और तदनुसार यदि आवश्यक हुआ तो कार्य समय-अवधि में विस्तार किया जाएगा।
14. यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशों के अनुसार और संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि हेतु किया जाएगा।
15. कार्य स्थल या संस्थान परिसर में विघटित सामग्री सहित किसी भी तरह का अपशिष्ट/ मलबा छोड़ा नहीं जाएगा और ठेकेदार अपनी लागत पर इसे परिसर से बाहर ले जाकर निपटान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
16. कार्य के निष्पादन के दौरान संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर ठेकेदार पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। यदि कार्यस्थल या उसके आसपास किसी तरह की क्षति होती है, तो ठेकेदार को उसे बिना किसी लागत के दुरुस्त करना होगा।
17. ठेकेदार को कार्यस्थल पर किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार ही बिल प्रस्तुत करना होगा। इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी कार्य हेतु संस्थान से कार्य करने के पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठेकेदार को किए गए कार्य का बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान किए गए संपूर्ण कार्य के बारे में संस्थान की संतुष्टि के आधार पर किया जाएगा।
18. ठेकेदार के बिल में से समय-समय पर लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियां की जाएंगी।

19. ब्लैकलिस्ट की गयीं/ वर्जित एजेंसी/ फर्म/ व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. उप-अनुबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप निष्पादित करने में विफल रहता है, अथवा अनुबंध की किन्हीं शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तो जैसा भी मामला हो, संस्थान के पास ई.एम.डी. और/अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि/गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, संस्थान को ठेकेदार को काली सूची में डालने का भी अधिकार होगा।
22. ठेके की अवधि के दौरान किसी भी कानून / विनियमन आदि के लागू होने के कारण ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
23. सामग्री अथवा इस ठेके के किसी भी तत्व पर सभी कर ठेकेदार द्वारा ही देय होंगे और संस्थान इस संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार की दरों में ऐसे सभी कर शामिल होंगे।
24. संस्थान, इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों में से आयकर अधिनियम और समय-समय पर लागू या अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर ही आयकर और अन्य करों की कटौती करेगा।
25. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की लापरवाही/ गलती के कारण संस्थान के उपकरणों, मशीनरी या सिस्टम में हुई किसी भी तरह की क्षति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसे ऐसी क्षति को अपने जोखिम और लागत पर दुरुस्त कराना होगा।
26. कार्य के दौरान कमरे की दीवारों, फर्श, खिड़कियों आदि पर पुताई या चित्रकारी के कारण छींटे या बौछार पड़ने पर सतह पर पड़े धब्बों को कार्य के दौरान ही साफ किया जाना आवश्यक है।
27. ठेकेदार श्रम सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
28. अस्तरीय या घटिया कार्य के संबंध में कार्रवाई - यदि यह प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य को असंगत, अपूर्ण या असभ्य कारीगरी के साथ निष्पादित किया गया है या किसी भी तरह की निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है तो प्रभारी अभियंता कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसे पुनः निष्पादित करा सकता है या इस कार्य को, जैसा भी मामला हो, हटा और बदल सकता है, जिसकी ऐसे मामलों में ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर कार्य कराना होगा।
29. यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है, अथवा बीच में ही छोड़ देता है, अथवा संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप इसे पूरा करने में विफल रहता है, अथवा अनुबंध की किन्हीं शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तो जैसा भी मामला हो, संस्थान के पास बोली सुरक्षा जमा राशि और/ या निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने का अधिकार होगा। संस्थान को ठेकेदार को काली सूची में डालने (ब्लैक लिस्ट करने) का भी अधिकार होगा।
30. कार्य प्रदान करने का मानदंड सामान्यतः बोलीकर्ता द्वारा समस्त सामग्रियों पर सबसे कम उद्धृत दरों के आधार पर होगा।
31. संस्थान के पास एजेंसी को तय करने के पूर्व उद्धृत दरों के औचित्य को पूछने का अधिकार है।
32. ठेकेदार को समय-समय पर संशोधित बिजली संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा और ठेकेदार अपनी ओर से लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा।
33. संस्थान और ठेकेदार के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में, इसे दोनों पक्षों के मध्य परस्पर चर्चा के द्वारा सुलझाया जाएगा। परस्पर चर्चाओं के माध्यम से विवाद के न सुलझ पाने की स्थिति में कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा और इस मामले को तथाकथित नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष रखा जाएगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।

*Rawe*  
15/3/23

34. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृति किया जा सकता है।
35. अनुबंध के कारण संस्थान और ठेकेदार के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।

*N. Rane*  
15/3/23

## लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

“एलएनआईपीई, परिसर ग्वालियर में व्यायामशाला हॉल और इनडोर स्विमिंग पूल हॉल में स्लैब विस्तार जोड़ों की कवरिंग करना कार्य।”

तकनीकी बोली

क्रमांक	विवरण	दस्तावेज़ आवश्यक हैं अथवा नहीं	यहां जानकारी दें	पेज क्रमांक पर प्रति संलग्न है
1	बोलीकर्ता का पूरा नाम			
2	पूरा पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट आदि	नहीं		लागू नहीं
3	बोलीकर्ता की स्थिति, यथा - पब्लिक लि./ प्राइवेट लि./ भागीदारी फर्म (निगमन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	हाँ/ नहीं		
4	कुलसचिव, एलएनआईपीई के पक्ष में ग्वालियर में देय रुपये 14,000/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. या किसी शेड्यूल बैंक से बैंक गारंटी) या (वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए छूट।	हाँ / नहीं	डी.डी./ बैंक गारंटी क्रमांक..... दिनांक ..... राशि रु. 14,000/- बैंक ..... शाखा .....	
5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम पंजीकरण (प्रति संलग्न करें)	हाँ/ नहीं		
6	आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड प्रति संलग्न करें)	हाँ/ नहीं		
7	दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार (मूल्यांकन वर्ष 2021-22), अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% होना चाहिए। दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां संलग्न करें	हाँ/ नहीं	वित्तीय वर्ष कारोबार (रु.) 2019-20 2020-21 2021-22	
8	सरकारी विभाग/ संगठनों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ शैक्षिक संस्थानों/ निजी संगठनों में पिछले 07 वर्ष (फरवरी 2023 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्य यानि - सिविल निर्माण कार्य को निम्नवत सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव - समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।	हाँ/ नहीं		

	<p>अथवा</p> <p>समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।</p> <p>अथवा</p> <p>समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।</p> <p>[उपर्युक्त कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें।]</p>			
9	<p>बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें)।</p>	हाँ/ नहीं	<p>खाता क्रमांक</p> <p>खाते का प्रकार</p> <p>बैंक</p> <p>शाखा</p> <p>आई एफ एस सी</p>	
10	<p>रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र कि :</p> <p>(ए) बोलीकर्ता कंपनी के कर्ताधर्ता/ फर्म/ भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है;</p> <p>(बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ई.पी.एफ., ई.एस.आई.,जी.एस.टी., आयकर इत्यादि वैधानिक देयों के भुगतान में कोई उल्लंघन नहीं किया है।</p> <p>(सी) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ शासकीय शैक्षणिक संस्थानों/ निजी संगठनों द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है ;</p> <p>(डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोली कर्ता का कोई भी ठेका, पूर्णता अवधि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।</p>			

### मूल्य बोली

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
1	जिम्नेजियम हॉल में 35 फीट ऊंचाई पर स्लैब विस्तार जोड़ों को एल्यूमीनियम शीट (1 फीट चौड़ाई और 20 गेज मोटी) के साथ फास्टनरों/स्कू बोल्ट आदि के साथ कवर करना।	560	रनिंग फीट		

2	इनडोर स्विमिंग पूल हॉल में 35 फीट ऊंचाई एल्यूमीनियम शीट (1 फीट 6 इंच चौड़ाई और 20 गेज मोटी) पर स्लैब विस्तार जोड़ों को फास्टनरों/स्कू बोल्ट आदि द्वारा कवर करना।	210	रनिंग फीट		
<b>कुल योग जी.एस.टी. सहित</b>					

कुल योग (शब्दों में):.....

उपर्युक्त उद्धृत दरें कार्य-स्थल पर समस्त करों सहित हैं, और इन उद्धृत दरों के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं है।

#### **शपथपत्र**

- हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
- हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
- हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
- हम वचन देते हैं कि यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और हमें काम दिया जाता है, तो हम निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए स्वीकार करते हैं और सहमत हैं।
- अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को अधूरा छोड़ने, या किसी भी तरह से अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करने पर हम निष्पादन सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने के लिए अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।
- जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
- मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित) : \_\_\_\_\_